

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4330/2026

1. Ankit Yadav S/o Rajesh Kumar, Aged About 25 Years, R/o Tehnoli, Police Station Kishangarh Bass, District Khairthal-Tijara (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Alwar).
2. Darshan @ Kalu S/o Kailash Chand, Aged About 28 Years, R/o Fatehpur Kalan, Police Station Sarund, District Behror-Kotputli (Raj.). (At Present Confined In Central Jail Alwar)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Vinay Pal Yadav
For Respondent(s)	: Mr. Amit Kumar Gupta, PP Mr. Gurudutt Saini, SHO, Vaishali Nagar, Alwar

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

30/04/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना- वैशाली नगर, जिला- अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 51/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 303(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त अमित की जमानत याचिका पूर्व में संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा ही स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण में मुख्य आक्षेप अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध है, जिनके द्वारा मित्रा/फिलपकार्ट पर विभिन्न ऑर्डर उनके मोबाइल को प्रयोग करके दिए जाते थे और बाद में जब वह

प्राप्त होने की स्थिति में होते थे, कैंसिल कर दिए जाते थे, जिससे उक्त राशि उनके खाते में पुनः हस्तांतरित हो जाती थी। तदुपरांत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को ओटीपी दिया जाकर उक्त माल की डिलिवरी कर दी जाती थी। इस संदर्भ में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आक्षेप है कि उनके द्वारा प्रत्येक डिलिवरी के एक-एक हजार रुपए तक अन्य सहअभियुक्तगण से प्राप्त किए गए। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं विद्वान् अधिवक्ता परिवादी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अन्य सहअभियुक्तगण के साथ अपराध में संबद्ध रहे हैं और उनके द्वारा यह जानते हुए कि अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा मित्रा/फिलपकार्ट पर जो ऑर्डर दिए गए हैं, वे कैंसिल कर दिए गए हैं, उक्त माल को संबंधित कंपनी को न लौटाकर अन्य सहअभियुक्तगण को सुपुर्द किया गया है और उसकी एवज में राशि प्राप्त की गई है।

उपरोक्त संदर्भ में न्यायालय के आदेश की पालना में संबंधित अनुसंधान अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं तथा उनके द्वारा यह तथ्य जाहिर किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ब्लूडार्ट कंपनी में कर्मचारी थे और उनके द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण मुख्यतः युवराज, अमित, अनीश जिनके द्वारा कि मित्रा/फिलपकार्ट पर अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए उक्त माल मंगाया गया था, माल को प्राप्त होने से पूर्व कैंसिल कर दिया जाता था और संबंधित कंपनी उक्त कैंसिल होने के आधार पर उनके द्वारा दी गई राशि को पुनः उनके खाते में रिफंड कर देती थी तथा उक्त सहअभियुक्तगण तदुपरांत कोरियर कंपनी में कर्मचारियों से मिलकर उन्हें कुछ राशि अदा कर वह माल प्राप्त कर लेते थे। इस संदर्भ में अनुसंधान से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा अपने मोबाइल का प्रयोग कर उक्त संबंधित कंपनियों को ऑर्डर दिए गए हैं, तदुपरांत उन्हें कैंसिल किया गया है और कैंसिल करने के

उपरांत माल को प्राप्त किया गया है। इस प्रकार उक्त विभिन्न कंपनियों से प्राप्त माल की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक आंकलित की गई है। इस संदर्भ में उनका तर्क है कि अन्य सहअभियुक्त युवराज के खाते में 14 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित हुई है और युवराज के मोबाइल फोन से भी समस्त ट्रांजेक्शन की एक एक्सेल शीट बरामद हुई है, जिसमें उसके द्वारा ऑर्डर दिए जाने और राशि प्राप्त किए जाने का विवरण है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की भूमिका कोरियर बॉय के रूप में उक्त सहअभियुक्तगण से कुल 20,000/- रुपए की राशि प्राप्त करने की रही है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की भूमिका मुख्य लाभार्थी के रूप में नहीं है, अपितु उनके द्वारा मुख्य अभियुक्तगण जिनके द्वारा मूल रूप से लाभ प्राप्त किया गया है, उनसे कुल 20,000/- रुपए की राशि प्राप्त की है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खाते में कोई राशि जमा होना नहीं पाया गया है। प्रकरण में अन्य समानान्तर सहअभियुक्त डिलिवरी बॉय अमित कुमार की जमानत याचिका संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. अंकित यादव पुत्र राजेश कुमार, 2. दर्शन उर्फ कालू पुत्र कैलाश चन्द** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J